न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः **21/2024** दायर दिनाँक **22.10.2024**

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1. देवाराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी खाटुखुर्द तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना–कुचामन	**बनाम**	1. अनिल कुमार पुत्र भोमराज 2. राजेश पुत्र भोमराज समस्त जाति ओसवाल निवासीगण खाटुखुर्द तहसील छोटी खाटु जिला डीडवाना–कुचामन राज. 3. तहसीलदार साहब छोटी खाटु

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री समदर सिंह नाथावत वकील प्रार्थी।
2. श्री महेश पुरी वकील अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।
3. श्री अभिषेक चतुर्वेदी वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **13.05.2026**

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि मौजा खाटुखूर्द पटवार हल्का खाटुखुर्द के खेत खसरा संख्या 467 रकबा 1.3800 है. भूमि प्रार्थी की एकल खातेदारी की अवस्थित है। प्रार्थी के उक्त खेत खसरा 467 में वर्तमान में खेत तक पहुंचने के लिए कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 466 है. में से नजरी नक्शा में दर्शाये गये मार्क ए सी बी अनुसर रास्ता चाहा गया है। जिस हेतु नये कटाणी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अभिषेक चतुर्वेदी व अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश पुरी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया।

तहसीलदार छोटीखाटू से मौका रिपोर्ट से जरिये पत्रांक – भू.अ./2025/1872 दिनांक 21.11.2026 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक के कोई कट्टाणी रास्ता नहीं लगता है। आवेदक को रास्ते की आवश्यकता है। खसरा नम्बर 467 के उत्तरी दिशा में

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

खसरा नम्बर 466 लगता है, खसरा नम्बर 466 के उत्तरी दिशा में चिपता कट्टाणी रास्ता है आवेदक के खसरा नम्बर 466 में से रास्ते की मांग की है नक्शे में दर्शायनुसार खसरा नम्बर 466 में से पश्चिमी सींव में बिन्दु ए से बी प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 30 मीटर व चौडाई 9.15 मीटर है अर्थात रास्ते का कुल रकबा 275 वर्ग मीटर या 0.0275 है. है।

प्रकरण में अन्तिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। अतः अप्रार्थीगण के खेत से रास्ता दिया जाना न्यायोचित है। वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस रास्ता नहीं दिये जाने के सबंध में कोई विशेष कथन नहीं किया।

बहस पर मनन किया एवं, तत्समय विधि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपने खेत खसरा संख्या 467 में आने जाने हेतु रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हैं आवेदक ने अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 466 में से रास्ता चाहा है जो कि तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार सबसे नजदीकी रास्ता है। तहसीलदार छोटीखाटू की रिपॅार्ट पर न्यायालय सहमत है। तहसीलदार रिपॅार्ट मुताबिक अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 466 के मार्क A से B प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार छोटीखाटू की रिपॅार्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर मौजा खाटूखुर्द के खसरा संख्या 467 में आवागमन हेतु तहसीलदार छोटीखाटू की मौका रिपोर्ट पत्रांक – भू.अ. /2025/1872 दिनांक 21.11.2026 में दर्शित भूमि अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 466 वाके सरहद खाटूखुर्द में दर्शित मार्क A से B को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार छोटीखाटू राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार छोटीखाटू की मौका रिपोर्ट पत्रांक – भू.अ./2025/1872 दिनांक 21.11.2026 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **13.05.2026** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी डीडवाना